सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली / देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः—शिक्षा विभागों में राष्ट्रीय स्तर की जालसाजी के सम्बन्ध में।

मान्यवर जी,

निवेदन यह है कि, एक व्यक्ति सौरभ अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र नाथ अग्रवाल निवासी 339—मेगाड्रीम होम्स, कर्मचारी नगर थाना इज्जतनगर जिला बरेली में कूट रचना पूर्ण फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करके एक जखीरा तैयार किया और देश के विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रवक्ता/सहायक प्रवक्ता के रूप में नौकरी की है एंव वर्तमान में भी कर रहा है। सौरभ अग्रवाल एक राष्ट्रीय स्तर का फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जालसाज व धोखेबाजी करके अनेकों जगह नौकरी करके अपनी विवेक बुद्वि से वेतन शिक्षा विभाग से छल, कपट करके हासिल करता रहा हैः—

1. महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी, (सोना देवी महाविद्यालय, डिरियापुर, बलिया उत्तर प्रदेश।) (सन 2014 से 2019 तक। विश्वविद्यालय के अनुमोदन पत्र की कॉपी संलग्न।
2. सिद्वार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्वार्थनगर, (अम्बा के0पी0एस0बी0पी0 कालेज ऑफ एजुकेशन, हरिहरपुर, सन्त कबीरनगर।) (सन 2014 से 01 जनवरी 2017 तक। आई0जी0आर0एस0 पोर्टल द्वारा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से प्राप्त पत्रों की कॉपी संलग्न है।)
3. गर्वमेन्ट पी0जी0 कालेज गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड—(सन 2014 से 2018 तक कार्य किया। नियुक्ति पत्र, प्रयुक्त किये गये दस्तावेज व उनकी सत्यापन रिपोर्ट संलग्न है।)
4. श्री गंगाधर टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, मण्डरेला, झूनझूनू, राजस्थान (दिनॉक 15.09.2010 से 30.04.2014 तक (इस्तीफे की कॉपी संलग्न है।)
5. सोरभ कालेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, राजस्थान (दिनॉक 02.07.2007 से 20.06.2022 तक, महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त स्टॉफ लिस्ट 2021—2022 कॉपी संलग्न है। क्रमांक 11 पर डा0 सौरभ अग्रवाल)
6. शर्मा मार्डन महिला टी0टी0 कालेज, पाटन अहीर, बीबीरानी, कोट कासिम, अलवर, राजस्थान। ( प्रधानाध्यापक के पद पर दिनॉक 18.05.2015 से वर्तमान तक, महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त स्टॉफ लिस्ट की कॉपी, क्रमांक 01 पर डा0 सौरभ अग्रवाल) कॉपी संलग्न है।)

7. आदर्शबानी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, पी0ओ0 गजोले, जनपद मालदा–732124, पश्चिम बंगाल। कालेज वेबसाइट से प्राप्त स्टॉफ लिस्ट की कॉपी, स्क्रीनशॉट, एफिडेविट, क्रमांक 01 पर डा0 सौरभ अग्रवाल प्रधानाचार्य) कॉपी संलग्न है।)
8. मदर टेरेसा कालेज ऑफ एजुकेशन, पी0एस0 रायगंज, जनपद उत्तर दीन्जापुर–733134, पश्चिम बंगाल। कालेज वेबसाइट से प्राप्त स्टॉफ लिस्ट की कॉपी, कमांक 02 पर सौरभ अग्रवाल प्रवक्ता) कॉपी संलग्न है।)
9. एजुसिटी कालेज ऑफ एजुकेशन, जनपद कुशमण्डी, पश्चिम बंगाल। कालेज वेबसाइट से प्राप्त स्टॉफ लिस्ट की कॉपी, कमांक 07 पर सौरभ, सहायक प्रवक्ता) कॉपी संलग्न है।)
10. गंगारामपुर बी0एड0 कालेज, पी0एस0 गंगारामपुर, गजोले, जनपद दक्षिण दीन्जापुर–733124, पश्चिम बंगाल। कालेज वेबसाइट से प्राप्त स्टॉफ लिस्ट, एफिडेविट की कॉपी, कमांक 15 पर फोटो सहित सौरभ अग्रवाल सहायक प्रवक्ता) कॉपी संलग्न है।)
11. उपरोक्त समस्त महाविद्यालयों में लगाये गये कूट रचित दस्तावेज भी संलग्न किये गये हैं, जिनका मिलान मुल्जिम के वास्तविक दस्तावेजों व महाविद्यालयों में लगाये दस्तावेजों से करके अपराध सिद्व किया जा सकता है।
12. संलग्न दस्तावेजों में एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश के प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुल्जिम सौरभ अग्रवाल की स्वंय की हैण्ड राइटिंग में बनाये गये हैं, जिनकी जॉच फॉरेन्सिक लैब में कराये जाने योग्य है। अन्य प्रयुक्त किये गये दस्तावेजों की जॉच भी उच्चस्तरीय जॉच समिति से करवाई जावे।
13. ज्ञात रहे है कि अधिकांश महाविद्यालय की मुल्जिम सौरभ अग्रवाल से सांठ–गांठ है, प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत किसी भी जानकारी का उत्तर महाविद्यालयों द्वारा अभी तक नही दिया है। अतः जो भी जॉच की जाये वो विश्वविद्यालय स्तर से ही किया जाना समीचीन होगा। जॉच उपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालयों की मान्यता भी रदद की जावे।

उपरोक्त कथन के फर्जी प्रमाणपत्रों/साक्ष्यों की प्रतिलिपियां संलग्न की जा रही है, जिससे सौरभ अग्रवाल की कूटरचना का अपराधिक इतिहास का खुलासा हो सकेगा। सौरभ अग्रवाल ने फर्जी प्रमाणपत्र हाईस्कूल, इण्टर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पी0एच0डी0 डिग्री, अंकपत्र का जखीरा तैयार किया व तमामी मोहरें, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र इत्यादि भी तैयार कर रखे है। इसी तरह से सौरभ अग्रवाल ने अपनी बहनों और

परिवारिक सदस्यों के भी फर्जी प्रमाणपत्र तैयार किये है जैसा कि नीतू अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, पारूल अग्रवाल, सचिन गुप्ता, अमित गुप्ता इत्यादि के प्रमाण पत्र तैयार कर फर्जीवाड़ा कर रखा है, जिनके साक्ष्य जॉच प्रारम्भ होने पर उपलब्ध करा दिये जायेगें तथा सौरभ अग्रवाल एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ही व्यक्तियों से मिला हुआ है जो सौरभ अग्रवाल को अनेकों प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराते है और सत्यता की जॉच हेतु कूटरचना कर सत्यता का प्रमाणपत्र उपलब्ध करा देते है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त आधार गम्भीर अपराध को बल देता है, जालसाजी से नौकरी अनेकों जगह करके वेतन प्राप्त किया गया जिसका ब्यौरा अंकित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सैकड़ो विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में इसी स्तर से फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरी की है व अपनी विवके बुद्वि से करोड़ो रूपये का वेतन प्राप्त किया है। बैंक डिटेल्स निकलवाने पर आय से अधिक अकूत सम्पत्ति व धन आगमन का भी खुलासा होगा। सौरभ अग्रवाल के नकल माफिया एंव पेपर लीक करवाने वाले रैकेट से भी सम्बन्ध है।

अतः मान्यवर जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटित घटनाओं के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जॉच व कानूनी कार्यवाही करने के आदेश पारित करने की कृपा की जावे व राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति के विरूद्व विभागीय अपराध पंजीकृत करके कार्यवाही अमल में लाई जावे महान कृपा होगी, तथा समस्त प्रकरण की जॉच किसी उच्चाधिकारी या सी0बी0आई0 द्वारा गुप्त रूप से करवाई जावे ताकि सभी सत्यता सामने आ सके एंव लिये गये धन की रिकवरी सौरभ अग्रवाल से की जावे व उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जावे एंव सौरभ अग्रवाल व उसके परिवार की सम्पत्ति कुर्क की जावे।

दिनॉकः— 12.11.2023 प्रार्थी

समीर खान पुत्र सईद खान
103, सैदपुर हाकिन्स, नियर जे0के0 हास्पिटल
करमचारीनगर, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश—243122
मोब0ः—8267036941